नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 15/05/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

हाइब्रिड मोड के माध्यम से 15/05/2024 को सुबह 10:30 बजे श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का विवरण।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे: -

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (दिनांक 23/09/2008 के पत्र के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामित)।
2. श्री एस.के. राव, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा आयुक्तालय।
3. श्री मयंक कुमार, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नोएडा (प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि)।
4. श्री जगदीश चंदर, कार्यालय अतिरिक्त विदेश व्यापार महानिदेशालय, सीएलए, नई दिल्ली।
5. श्री दुर्गेश, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान एस/श्री (i) किरण मोहन मोहदिकर, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (ii) अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (iii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, और (iv) भारत अनुमोदन समिति की सहायता के लिए भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र भी उपस्थित थे। यह सूचित किया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध था और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद क्रमवार कार्यसूची पर विचार किया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए: -

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) 29/04/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

यह सूचित किया गया कि उत्पादन क्षमता बढ़ाने और अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने के लिए सेज एक्सपोर्ट के प्रस्ताव से संबंधित कार्यसूची संख्या (8) के मिनटों में एक टंकण था। मिनट के पैरा 8.5 में लैंप शेड्स (94059900) की उत्पादन क्षमता 1,00,000 पीसी/वर्ष के बजाय 10,000 पीसी/प्रति वर्ष बताई गई थी।तदनुसार, यूएसी की मंजूरी से अवगत कराते समय, लैंप शेड्स की उत्पादन क्षमता 1,00,000 पीसी/वर्ष सही ढंग से उल्लिखित की गई है। आगे बताया गया कि 29/04/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के खिलाफ न तो कोई संदर्भ था और न ही आपत्तियां थीं। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 29/04/2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) श्री भोमिका इंटरनेशनल लिमिटेड - स्वीकृति पत्र /रुग्ण इकाई का पुनरुद्धार/नवीनीकरण, अधिकृत संचालन का व्यापक सरबन्दी, पट्टा विलेख का नवीनीकरण।

2.1 बताया गया कि मेसर्स श्री भोमिका इंटरनेशनल लिमिटेड को सूती बुने हुए कपड़े और बुना हुआ कपड़ा के निर्माण और निर्यात के लिए स्वीकृति पत्र संख्या 01/01/95-एनईपीजेड/ऑटो/1630 दिनांक 17.02.95 प्रदान किया गया था। इकाई ने 28.03.2000 को उत्पादन शुरू किया। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, इकाई अप्रैल, 2003 से निर्यात नहीं कर रही थी। इकाई को 24.03.1995 को 16,100 वर्ग मीटर का प्लॉट नंबर 59-I आवंटित किया गया था और कब्जा 07.06.1995 को दिया गया था। 26.10.1995 को निष्पादित उप-पट्टा विलेख 31.05.2010 तक वैध था और 24.06.1996 को आईडीबीआई, नई दिल्ली के पक्ष में इकाई को बंधक अनुमति भी दी गई थी।

सुरेंद्र मलिक

2.2 इकाई 1999 से लीज रेंट का भुगतान नहीं कर रही थी और इकाई के खिलाफ पीपी अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई की गई थी। इकाई रुग्ण हो गई और बी.आई.एफ.आर. के साथ पंजीकृत हो गई। माननीय बीआईएफआर से नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यालय के दिनांक 25.04.2005 और 17.05.2005 के माध्यम से अनुरोध किया गया था कि बीआईएफआर कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान पीपी अधिनियम, 1971 के तहत इकाई के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही की अनुमति दी जाए। बीआईएफआर ने अपने आदेश दिनांक 19.06.2006 के तहत इकाई को बीमार घोषित कर दिया और प्लॉट नंबर 59-आई, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में भवन की बिक्री के लिए मेसर्स आईडीबीआई को संचालन एजेंसी नियुक्त किया।

2.3 तनावग्रस्त संपत्ति स्थिरीकरण कोष (एसएएसएफ) ने दिनांक 29.09.2009 के पत्र के माध्यम से सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत कंपनी की संपत्तियों पर कब्जा करने का प्रस्ताव रखा और 10.05.2010 को ऐसा किया।

2.4 यह बताया गया कि लेनदारों की समिति ने दिनांक 06.01.2020 को अपनी चौथी बैठक में मेसर्स कमोडिटीज ट्रेडिंग द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को 100% वोटिंग शेयर द्वारा मंजूरी दे दी और निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे बाद में 05.10.2020 को राष्ट्रीय कंपनी कानूनी न्यायधिकरण द्वारा भी अनुमोदित किया गया: -

> "संकल्प लिया गया कि, *मेसर्स कमोडिटीज ट्रेडिंग द्वारा 4.5 करोड़ रुपये के लिए प्रस्तुत समाधान योजना को सीओसी सदस्यों द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 30 (4) के प्रावधानों के अनुपालन में अनुमोदित किया जाता है। इसके अलावा, समाधान पेशेवर श्री मनीष अग्रवाल को ऋणदाताओं की समिति की ओर से, निर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना की मंजूरी के लिए धारा 31 के तहत एक आवेदन स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत किया गया है।* "

2.5 आगे बताया गया कि मेसर्स श्री भोमिका इंटरनेशनल लिमिटेड की सीआईआरपी प्रक्रिया में, कुल स्वीकृत समाधान योजना राशि 4.5 करोड़ रुपये थी और जिसमें से आईडीबीआई बैंक को 325 करोड़ रुपये के दावे के मुकाबले 4 करोड़ रुपये मिले और नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र को 50 लाख रुपये मिले, उनका दावा 6.29 करोड़ रुपये का है। मेसर्स कमोडिटीज ट्रेडिंग ने राष्ट्रीय कंपनी कानूनी न्यायधिकरण के आदेश दिनांक 05.10.2020 के अनुसार नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण खाते में 50 लाख रुपये की राशि जमा की थी।

2.6 यह बताया गया कि नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा 5.79 करोड़ रुपये के खारिज किए गए दावे को चुनौती देने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। इस कार्यालय द्वारा उठाई गई आपत्ति को आदेश क्रमांक दिनांक 27.11.2020 द्वारा खारिज कर दिया गया।

2.7 आगे बताया गया कि मेसर्स श्री भोमिका इंटरनेशनल लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 14.12.2020 के माध्यम से प्लॉट नंबर 59-आई, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के स्वीकृति पत्र और पट्टा विलेख की व्यापक सरबन्दी और नवीनीकरण के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया था। इकाई ने राष्ट्रीय कंपनी कानूनी न्यायधिकरण द्वारा नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अपील खारिज किये जाने का भी हवाला दिया है। इसके अलावा इकाई ने कानूनी प्रावधान यानी आईबीसी की धारा 30, 31, 32, 53, 60, 61, 74, 238 का संदर्भ भी दिया है और इस कार्यालय से कुल लंबित लीज 6.29 करोड़ रुपये किराये का बकाया के लिए 50,00,000/- रुपये की राशि स्वीकार करने का अनुरोध किया है जो राष्ट्रीय कंपनी कानूनी न्यायधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 05.10.2020 द्वारा अनुमोदित समाधान योजना में दिया गया है। इकाई ने (1) कपड़ा उत्पादों और अन्य सभी ओजीएल उत्पादों के लिए भंडारण सेवा गतिविधि और (ii) कपड़ा संबंधी सॉफ्टवेयर और अन्य सभी उद्योगों से संबंधित अन्य सॉफ्टवेयरों की डिजाइनिंग के लिए स्वीकृति पत्र की व्यापक सरबन्दी के अनुरोध के साथ स्वीकृति पत्र के पुनरुद्धार के लिए अपना प्रस्ताव संलग्न किया है।

2.8 इस मामले में आगे कानूनी राय मांगी गई थी, मेसर्स सुराणा और सुराणा ने अपनी राय इस प्रकार दी है:

सुरेंद्र मलिक

" उपरोक्त संदर्भित बिंदुओं और माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.2023 को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि चूंकि माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानूनी न्यायधिकरण, नई दिल्ली ने समाधान योजना को मंजूरी दे दी है जिसमें उल्लेख किया गया है-

"10.9. नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र) से छूट:

मूल आवंटी होने के तथ्य पर ध्यान दिए बिना समाधान आवेदक के पक्ष में 100% निदेशक/शेयरधारिता या दोनों में परिवर्तन के कारण उप-पट्टे के नवीनीकरण और/या हस्तांतरण शुल्क के लिए नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र को किसी भी प्रकार की फीस/जुर्माना के भुगतान से छूट मिलनी चाहिए, पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त किया है या नहीं।"

इसलिए, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र को नवीनीकरण और/या स्थानांतरण के लिए उनके आवेदन/अनुरोध को मंजूरी देनी चाहिए।

इसके अलावा, चूंकि मामला लंबित है और समाधान योजना के उपर्युक्त खंड 10.9 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अन्य विवादों के साथ पहले ही चुनौती दी जा चुकी है। इस मुद्दे को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के समय फिर से उठाया जा सकता है।"

2.9 मेसर्स कमोडिटीज ट्रेडिंग के भागीदार श्री देवेन्द्र बंसल अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वे कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र में कई वर्षों से सफलतापूर्वक भंडारण इकाई चला रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि पहले वे सॉफ्टवेयर और संचालन के निर्यात के लिए मेसर्स डिजीसॉफ्ट आउटसोर्सिंग के नाम से एक ईओयू भी चला रहे थे लेकिन उक्त ईओयू अब बंद हो गया है। उन्होंने अनुमोदन समिति को सूचित किया कि नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानूनी न्यायधिकरण / राष्ट्रीय कंपनी कानूनी न्यायधिकरण के समक्ष दायर अपील पहले ही खारिज कर दी गई है और वे पिछले चार वर्षों से नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में परियोजना के पुनरुद्धार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि अब तक तत्काल प्रस्ताव के संबंध में स्वीकृति पत्र नवीनीकरण/संशोधन आदि के लिए आवेदन पर कमोडिटीज ट्रेडिंग के भागीदार की क्षमता में उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानूनी न्यायधिकरण द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के माध्यम से मेसर्स श्री भोमिका इंटरनेशनल लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है। हालाँकि, वे एमसीए की औपचारिकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया में थे। निदेशकों और शेयरधारिता में परिवर्तन और आवश्यक दस्तावेज यथाशीघ्र इस कार्यालय में जमा करेंगे।

2.10 आगे बताया गया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 का नियम 72 निम्नानुसार प्रदान करता है:

"(1) एक इकाई जिसे उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा बीमार घोषित किया गया है, उसे विकास आयुक्त के माध्यम से बोर्ड को विचार के लिए पुनरुद्धार पैकेज प्रस्तुत करना होगा और बोर्ड सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा की पूर्ति के लिए अधिकतम पांच वर्षों तक प्रचलित मानदंडों पर अवधि के विस्तार पर विचार करेगा।

....

(3) यदि कोई नई इकाई किसी बीमार इकाई की सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को लेने के लिए तैयार है, तो उप-नियम (1) के तहत प्रदान की गई ऐसी परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।

2.11 अनुमोदन समिति ने मामले के इतिहास, समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 72 के प्रावधानों, कानूनी फर्म के अनौपचारिक निविष्ट का अध्ययन किया और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को निम्नलिखित प्रस्तुत करने का निर्देश दिया:

सुरेंद्र मलिक

(i) प्रस्तावित भंडारण वस्तुओं और प्रस्तावित सेवाओं के सीपीसी कोड के संबंध में आईटीसी एचएस वर्गीकरण 2022 के अनुसार विवरण और 8 अंकों का एचएस कोड देते हुए प्रस्तावित अधिकृत संचालन का स्पष्ट और पूर्ण विवरण।

(ii) कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में बोर्ड संकल्प के साथ फॉर्म-एफ1 में निर्यात, विदेशी मुद्रा व्यय, निवल विदेशी मुद्रा आय, आयातित और स्वदेशी पूंजीगत सामान, कच्चे माल, निविष्ट सेवाओं आदि के स्पष्ट अनुमान।

(iii) मेसर्स श्री भोमिका इंटरनेशनल लिमिटेड के निदेशकों और शेयरधारिता स्वरूप का पूरा और अद्यतन विवरण जिसमें एमसीए औपचारिकताओं का अनुपालन (मैसर्स कमोडिटीज ट्रेडिंग द्वारा इस रुग्ण कंपनी को संभालने के परिणामस्वरूप निदेशकों में परिवर्तन से पहले और बाद में) शामिल है।

2.12 अनुमोदन समिति ने परियोजना प्रभाग, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र को आगे निर्देश दिया कि इकाई से उत्तर/दस्तावेज प्राप्त होने पर, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमों, 2006 के नियम 72 के संदर्भ में स्वीकृति पत्र के पुनरुद्धार के लिए अनुमोदन समिति सिफारिश के साथ विभाग वाणिज्य को अग्रेषित करने के लिए, टेक्सटाइल से संबंधित सॉफ्टवेयर और अन्य सभी उद्योगों से संबंधित अन्य सॉफ्टवेयरों की डिजाइनिंग से संबंधित सेवाओं की आपूर्ति के लिए, प्रस्ताव की फाइल पर जांच की जा सकती है। इसके अलावा अनुमोदन समिति ने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, नियमों, सीमा शुल्क अधिनियम और विदेश व्यापार नीति के किसी भी उल्लंघन सहित भंडारण पर इकाई के पिछला कार्य निष्पादन रिकार्ड के संबंध में केए विशेष आर्थिक क्षेत्र से एक रिपोर्ट लेने का निर्देश दिया। समिति द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय कंपनी कानूनी न्यायधिकरण द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के तथ्यों के साथ-साथ 100% निदेशक पद में परिवर्तन के कारण उपपट्टे के नवीनीकरण और/या हस्तांतरण शुल्क के लिए नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण को किसी भी प्रकार की फीस/जुर्माना के भुगतान से छूट से संबंधित विवादों की जानकारी दी जाए, शेयरधारिता या दोनों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा दायर अपील के बारे में भी विभाग वाणिज्य को सूचित किया जा सकता है।

(3) <u>मेसर्स एडवांस इस्पात इंडिया लिमिटेड - स्वीकृति पत्र के प्रदर्शन और नवीनीकरण की निगरानी।</u>

3.1 यह बताया गया कि मेसर्स एडवांस इस्पात (इंडिया) लिमिटेड को मचान (73089090) (5000 मीट्रिक टन/वर्ष) के निर्माण के लिए दिनांक 01/06/2004 को स्वीकृति पत्र जारी किया गया था। इकाई का स्वीकृति पत्र 31/10/2022 तक वैध था। अब, इकाई ने वर्तमान ब्लॉक की शेष अवधि यानी 23/11/2026 तक के लिए स्वीकृति पत्र के आगे नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है।

3.2 आगे बताया गया कि अनुमोदन समिति ने 07/11/2023 को आयोजित अपनी बैठक में स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण के लिए इकाई के प्रस्ताव पर विचार किया और पाया कि अनुमोदन समिति को प्रदान किए गए निविष्ट और उनके पत्र दिनांक 5/08/2023 और नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र सीमा शुल्क द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लिखित निविष्ट के बीच भिन्नताएं थीं।

3.3 श्री आशीष अग्रवाल, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। श्री अग्रवाल ने अपनी पिछली दलीलों को दोहराया कि वे मेसर्स क्लिफ स्कैफोल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए जॉब-वर्क गतिविधियाँ कर रहे हैं। विशिष्ट प्रश्न पर, श्री अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने अपने स्वीकृति पत्र वैध होने तक सभी लेनदेन ऑनलाइन दर्ज किए हैं।

3.4 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई के प्रतिनिधि के बयान और सीमा शुल्क रिपोर्ट में भिन्नताएं हैं। इसके अलावा, श्री अग्रवाल यह नहीं बता सके कि वे बिना किसी पूंजीगत सामान या कर्मचारियों के कैसे काम कर रहे हैं।

सुरेंद्र मलिक

3.5 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद इकाई को निम्नलिखित प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ मामले को स्थगित कर दिया:

(i) पाँच वर्षों के अगले ब्लॉक के लिए व्यवसाय योजना।

(ii) एडवांस इस्पात इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों की सूची, उनके कर्मचारी आईडी की प्रति के साथ-साथ दस्तावेजी साक्ष्य के साथ इकाई के पास उपलब्ध पूंजीगत वस्तुओं की सूची।

(iii) प्रसंस्करण के लिए मेसर्स क्लिफ स्कैफोल्डिंग द्वारा मेसर्स एडवांस इस्पात को आपूर्ति किए गए माल का विवरण और आईटीसी (एचएस) कोड

(iv) मेसर्स एडवांस इस्पात द्वारा मेसर्स क्लिफ स्कैफोल्डिंग्स को वापस आपूर्ति किए गए माल का विवरण और आईटीसी (एचएस) कोड, जॉब वर्क के दौरान की गई सटीक सेवा गतिविधियों के विवरण के साथ।

(v) विशेष आर्थिक क्षेत्र ऑनलाइन प्रणाली में लेनदेन दाखिल करने के प्रमाण की प्रति।

(vi) विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम प्रदान करें जिसके तहत इकाई ने वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन में जॉब वर्क के मूल्य को निर्यात के रूप में दिखाया है और निवल विदेशी मुद्रा की उपलब्धि के खिलाफ गणना की है जबकि इकाई को अधिकृत संचालन के रूप में किसी भी जॉब वर्क की अनुमति नहीं दी गई है।

(4) <u>रॉयल एक्सपोर्ट्स - प्रदर्शन की निगरानी, स्वीकृति पत्र का नवीनीकरण और अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना।</u>

4.1 बताया गया कि मेसर्स रॉयल एक्सपोर्ट्स ने 30/04/2024 के बाद स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। इसके अलावा, इकाई ने अपने स्वीकृति पत्र में रंगीन पत्थरों के साथ 'मोतियों से जड़ित सोने के आभूषण' को भी शामिल करने का प्रस्ताव दिया था।

4.2 श्री मनोज सोनी, भागीदार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। यह सूचित किया गया कि आवेदन में कुछ कमियाँ देखी गई हैं जिनमें आईटीसी (एचएस) कोड और प्रस्तावित अतिरिक्त अधिकृत संचालन के विवरण प्रस्तुत न करना शामिल है।

4.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्तावित अधिकृत संचालन के लिए स्वीकृति पत्र की वैधता को छह महीने की अवधि यानी 31/10/2024 तक नवीनीकृत करने का निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने इकाई को मोतियों से जड़े सोने के आभूषणों के निर्यात आदेशों की प्रति प्रस्तुत करने और आवेदन में देखी गई अन्य कमियों को दूर करने का निर्देश दिया। मेसर्स रॉयल एक्सपोर्ट्स द्वारा मेसर्स ग्लोबल डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड से सामग्री की खरीद से संबंधित मुद्दे के संबंध में, समिति ने निर्देश दिया कि इस मामले की जांच एक आंतरिक समिति द्वारा की जा रही है जो इसे अनुमोदन समिति के समक्ष रखने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(5) <u>मेसर्स एक्वा पूल्स एंड स्पा- स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना और अनुमानों में संशोधन।</u>

5.1 यह बताया गया कि मेसर्स एक्वा पूल्स एंड स्पा ने बाथटब और बिल्डर हार्डवेयर सहित बाथरूम फिटिंग और सहायक उपकरण के विनिर्माण और उसके डिजाइनिंग (39221000, 74182010, 74182020, 69109000m 73181900, 39229000, 70131000, 69072100) स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था।

5.2 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अनूप टंडन अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया।

सुरेंद्र मलिक

5.3 अनुमोदन समिति को यह सूचित किया गया कि 488 संख्या/वर्ष के रूप में उल्लिखित क्षमता इकाई को पहले से ही स्वीकृत मौजूदा अधिकृत संचालन से संबंधित है। समिति को सूचित किया गया कि इकाई के अनुप्रयोग में कुछ विसंगतियाँ देखी गई हैं, जिनमें सुधार की आवश्यकता है।

5.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्तावित अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन इकाई के आवेदन में देखी गई विसंगतियों के सुधार के अधीन है।

(6) <u>जीकेबी आईकेयर प्राइवेट लिमिटेड- स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त अधिकृत संचालन का समावेश।</u>

6.1 यह बताया गया कि मेसर्स जीकेबी आईकेयर प्राइवेट लिमिटेड ने स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त अधिकृत संचालन के रूप में 'प्लास्टिक ऑप्थेल्मिक लेंस (90015000) की व्यापार' को शामिल करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था।

6.2 इकाई के निदेशक श्री विवेक गुप्ता अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

6.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, स्वीकृति पत्र में प्रस्तावित अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

(7) <u>इयान मैकलॉड डिस्टिलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड- जीएसटी नियमों के तहत अनुपालन के लिए चालान का समर्थन और अतिरिक्त सेवा, यानी 'प्रायोजन सेवाएं और ब्रांड प्रचार सेवाएं (998397)' का अनुमोदन।</u>

7.1 इकाई के निदेशक श्री आर.वी. सुब्रमण्यम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट शुल्क मुक्त दुकानों पर ब्रांड दूतावास को दिया जाने वाला वेतन ब्रांड प्रचार सेवाएं के अंतर्गत आता है, जिसे एसएसी 998397 के तहत वर्गीकृत किया गया है। सेवाएँ नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा उनके अनुमोदन पत्र (स्वीकृति पत्र) में अधिकृत संचालन के तहत अनुमत व्यवसाय का एक अभिन्न अंग थीं। इसके अलावा यह उल्लेख किया गया था कि हवाई अड्डे की शुल्क मुक्त दुकानों पर ब्रांड दूतावास की सेवाओं के बिना, उनके ब्रांड को बेचना संभव नहीं था। स्वीकृति पत्र के तहत अनुमति प्राप्त अधिकृत संचालन को पूरा करने के लिए, ब्रांड दूतावास को हवाई अड्डे की शुल्क मुक्त दुकानों पर नियुक्त करना और उनके वेतन का भुगतान करना आवश्यक था, क्योंकि वे विशेष रूप से दुकान के फर्श पर अपने ब्रांडों की बिक्री को बढ़ावा देते हैं।

7.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई को यह पुष्टि करते हुए संशोधित पत्र/ईमेल जमा करने की आवश्यकता है कि वे प्रचारित किए जा रहे ब्रांड के मालिक हैं जिसके लिए ब्रांड प्रचार सेवाएं का अनुरोध किया गया है। इकाई ने संकेत दिया कि यह मूल कंपनी थी जो ब्रांड की मालिक थी।

7.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, जीएसटी नियमों के तहत अनुपालन के लिए चालान के समर्थन के प्रस्ताव को मंजूरी देने का निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने इसके अधिकृत संचालन के लिए निर्देश संख्या 79 दिनांक 19/11/2013 के संदर्भ में इकाई को अतिरिक्त सेवा, यानी 'प्रायोजन सेवाएं और ब्रांड प्रचार सेवाएं (998397)' को भी मंजूरी दे दी। यह इकाई द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम/नियमों और जीएसटी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन है। यह अनुमोदन संशोधित पत्र/ईमेल प्रस्तुत करने के अधीन है जिसमें कहा गया है कि वे ब्रांड के मालिकों की सहायक कंपनी हैं।

सुरेंद्र मलिक

(8) <u>लेकलैंड ग्लव्स एंड सेफ्टी अपैरल प्राइवेट लिमिटेड- कंपनी के निदेशकों में बदलाव।</u>

8.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के संदर्भ में इकाई के निदेशकों में निम्नलिखित परिवर्तन पर ध्यान दिया:

पिछले निदेशक	वर्तमान निदेशक
1. श्री चार्ल्स डेटवाइलर रॉबर्सन 2. श्री विशाल कुमार 3. श्री अनिल थॉमस	1. श्री विशाल कुमार 2. श्री अनिल थॉमस

8.2 अनुमोदन समिति ने आगे इकाई को विशेषाधिकृत लेखापाल द्वारा विधिवत प्रमाणित निदेशकों में परिवर्तन से पहले और बाद में कंपनी के शेयरधारिता स्वरूप का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

8.3 अनुमोदन समिति ने नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के ईएम डिवीजन को नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव, यदि कोई हो, के संबंध में स्थानांतरण शुल्क लगाने के मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

(9) <u>एसडब्ल्यूजी न्यूट्रास्यूटिकल्स- फर्म के साझेदारों और लाभ/हानि साझाकरण अनुपात में परिवर्तन।</u>

9.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के संदर्भ में 25.01.2024 से इकाई के भागीदारों और लाभ/हानि शेयर अनुपात में निम्नलिखित परिवर्तनों पर ध्यान दिया:

पिछले साझेदार और लाभ/हानि शेयर अनुपात (%)	वर्तमान भागीदार और लाभ/हानि हिस्सेदारी अनुपात (%)
1. श्री रतनदीप सिंह (50%) 2. श्री प्रणव उप्पल (50%)	1. श्री रतनदीप सिंह (50%) 2. श्री सुमित (50%)

9.2 अनुमोदन समिति ने इकाई को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स द्वारा विधिवत पंजीकृत साझेदारी विलेख प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

9.3 अनुमोदन समिति ने नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार, शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव के संबंध में स्थानांतरण शुल्क लगाने के मामले की जांच करने के लिए ईएम डिवीजन, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र को निर्देश दिया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त

ए बिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त